रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 1972/आषाढ़ 23, 1894
No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 1972/ASADHA 23, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

ORDERS

New Delhi, the 14th July 1972

G.S.R. 342(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 4 of the Indian Iron and Steel Company (Taking Over of Management) Ordinance, 1972 (No. 6 of 1972), the Central Government hereby authorises Shri Sujit Banerji, Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel) as the person to whom the properties of the undertaking of the Indian Iron and Steel Company Limited shall be delivered under that sub-section.

[No. Ind.II-7(41)72(i).]

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1972

सा०का०नि० 342 (अ) —इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबंध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का सं० 6) की धारा 4 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) में भारत सरकार के उप-सचिव श्री सुजीत बनर्जी को एतद्द्वारा उस व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करती है जिसको उस उपधारा के अधीन इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उप-क्रम की सम्पत्ति परिदत्त की जाएगी।

[सं० इंड II-7(41) 72(i)]

G.S.R. 342-A(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Indian Iron and Steel Company (Taking Over of Management) Ordinance, 1972 (No. 6 of 1972), the Central Government hereby appoints Shri M. P. Wadhawan, Director (Finance), Hindustan Steel Limited, Ranchi, as the Custodian of the undertaking of the Indian Iron and Steel Company Limited for the purpose of taking over the management thereof, and for the management of the undertaking of the company for and on behalf of the Central Government.

[No. Ind.II-7(41)72.]

K. V. RAMANATHAN, Jt Secy.

सा०का०नि० 342-ए (अ).—इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध अधिग्रहण) अध्यादेश, 1972 (1972 का सं० 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० पी० वधावन, निदेशक, (वित्त), हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची को इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड का प्रबंध ग्रहण करने के प्रयोजन के लिये, और केन्द्रीय सरकार के लिये तथा उसकी ओर से कम्पनी के उपक्रम का प्रबंध करने के लिये एतद्द्वारा उसका अभिरक्षक नियुक्त करती है।

[(सं० इंड-II-7 (41) 72)]

क० व० रामनाथन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972